46 18

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार)

क्रं0 2/1180/काप्रसु/एक/78, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी, 1979

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावलियों में अंकित प्रतिकूल टीकायें के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर कार्यवाही ।

राज्य शासन के यह देखने में आया है कि अधिकारियों की चरित्रावलियों में अंकित प्रतिकूल टीकाऐं समय पर संसूचित करने तथा उनके विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदनों के निपटारे के संबंध में जारी किये गये शासन के आदेशों का ठीक ढंग से पालन नहीं हो रहा है ।

2/ इस संबंध में पूर्व में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है जो निम्नानुसार हैं :-

(एक) जब कोई रिपोर्ट विभिन्न विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिखी गई रायों पर आधारित हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई राय ही यदि आवश्यक हो तो संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर सूचित की जाना चाहिए । सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय लेगा कि क्या अन्य रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारियों द्वारा दी गई टिप्पणियाँ सूचित की जाये । अधिकारी को कोई सूचना भेजने संबंधी निर्णय लेने के पहले न केवल एक वर्ष की रिपोर्ट की किंतु पिछले वर्षों की रिपोर्टों की भी जांच की जानी चाहिए ।

(दो) केवल ऐसी टिप्पणियां ही सूचित की जानी चाहिये जिसके आधार पर कार्य में सुधार किया जा सकता हो, किंतु जब ऐसा किया जाये तो संपूर्ण रिपोर्ट का सारांश जिसमें अधिकारी की प्रशंसा में कही गई बात भी सम्मिलित हो, सूचित की जानी चाहिये । जब किसी अधिकारी की रिपोर्ट यह दर्शाती हो कि उसने पूर्ववर्ती रिपोर्ट में उल्लिखित दोषों में सुधार करने या उन्हें दूर करने का प्रयास किया हो तो यह तथ्य अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिये ।

(8)

यदि प्रतिकूल टिप्पणी तुच्छ स्वरूप की हो या ऐसी हो कि उसे [illegible]कारी को औपचारिक रूप से सूचित करने का औचित्य प्रतीत न होता [illegible] तो इतना ही पर्याप्त होगा कि सक्षम प्राधिकारी से यह कह दिया जाय कि वह संबंधित अधिकारी की वह टिप्पणी मौखिक रूप से सूचित कर दें. ~~जिससे कि वह दोषों को सुधारने का प्रयास कर सके।~~

(चार) कोई भी अधिकारी उसे सूचित प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिये स्वतंत्र होगा, प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध किया जाने वाला अभ्यावेदन सूचना के दिनांक से तीन माह के भीतर किया जाना चाहिये । तथापि सक्षम प्राधिकारी अपने विवेकानुसार कोई भी अभ्यावेदन जो कि उपर उल्लिखित अवधि के बाद किया गया हो, विलंब के लिये संतोषजनक स्पष्टीकरण किये जाने की स्थिति में ग्रहण कर सकेगा ।

(पांच) जब कभी प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन किया जाये तो, केवल यही पर्याप्त होगा कि रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी से यह पूछा जाये कि ऐसी टिप्पणी का आधार क्या है । मत देने वाले अधिकारी को चाहिये कि वह संबंधित अभ्यावेदन पर अपना मत, मत प्राप्ति के लिये भेजे गए पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर भेज दें । यदि संबंधित अधिकारी किसी कारणवश उत्तर भेजने के लिए कुछ अधिक समय चाहते है तो उन्हें तदनुसार समयावधि बढ़ाने के आदेश प्राप्त कर लेना चाहिये । संबंधित अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर शासन, संबद्ध दस्तावेज और अभिलेख देखकर इस बात से अपना समाधान करेगा कि टिप्पणी पूर्णतः न्यायोचित है या नहीं । यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि टिप्पणी न्यायोचित है तो अधिकारी को तदनुसार सूचित किया जाना चाहिये और उसका अभ्यावेदन रद्द कर दिया जाना चाहिये । तथापि यदि ऐसा देखने में आये कि प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध किये गये अभ्यावेदन से अधिकारी की स्वयं को सुधारने की अनिच्छा प्रकट होती है और यह कि जिन सुधारों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था, उनको उसने अच्छी भावना से नहीं लिया है तो उसे तदनुसार सूचित किया जाना चाहिये । इस पत्र की एक प्रति गोपनीय निजी फाइल में रख दी जानी चाहिए । यदि सक्षम प्राधिकारीप्रतिवेदनों की रिपोर्ट की सूक्ष्म जांच करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रतिकूल टिप्पणी न्यायोचित नहीं थी, दुर्भावना से प्रेरित थी या पूर्णतः गलत अथवा निराधार थी या अप्राधिकृत थी और इसलिये उसे निकाल दिया जाना चाहिये तो उस टिप्पणी को काट देना चाहिये और उस पर कागज चिपका देना चाहिये या उसे अन्य प्रकार से मिटा देना चाहिए और उस पर यह लिखकर कि उसने ऐसा किया है अपने हस्ताक्षर [illegible] डाल देना चाहिये । राजपत्रित अधिकारियों के मामले में विलोपन की कार्यवाही कम से कम अवर सचिव [illegible] के अधिकारी द्वारा की जाना चाहिये । अभ्यावेदन की जांच और उसका निपटारा उसकी [illegible] की तारीख से 3 माह के भीतर ही होना चाहिये ।

(9)

§छः§ प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों से संबंधित प्रतिकूल टीकाओं को आलोपित करने के प्रकरण आदेश जारी के पूर्व मुख्य सचिव के द्वारा मुख्य-मंत्री जी को भेजे जाना चाहिये ।

§सात§ प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरूद्ध किये गये अभ्यावेदनों या स्पष्टीकरण को गोपनीय रिपोर्टों के साथ नहीं जोड़ना चाहिये । यदि अभ्यावेदन न्यायोचित होता तो इसका परिणाम यह होता है कि सक्षम प्राधिकारी ने रिपोर्ट पर इस आशय की टिप्पणी लिखी होती, यदि अभ्यावेदन निरर्थक होता तो वह रद्द कर दिया गया होता, दोनों में से किसी भी स्थिति में गोपनीय रिपोर्ट के साथ अभ्यावेदन संलग्न करने से कोई उपयोगी प्रयोजन सफल नहीं होगा ।

शासन चाहता है , अगर कंडिका 2 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये ताकि प्रतिकूल टीकाऐं सूचित करने और उनके विरूद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के निपटारे में अनावश्यक विलंब न हो ।

हस्ता/-
§ एच. एन. खरे §
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग